अध्याय ।

सेवा कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों के जारी करने से प्राप्त सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण की वापसी से सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राशियाँ शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की राजस्व प्राप्तियाँ शामिल हैं। नीचे तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष 2016-17 (वि‍व17) तथा वि‍व16 के लिए संघ सरकार की प्राप्तियों का सार दर्शाती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

(₹ करोड़ में)

	वि‍व17	**वि‍व16**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	22,23,988	19,42,353
i. *प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां*	8,49,801	7,42,012
ii. *अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां*	8,66,167	7,13,879
iii. *गैर-कर प्राप्तियां*	5,06,721	4,84,581
iv. *सहायता अनुदान एवं अंशदान*	1,299	1,881
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ[1]	47,743	42,132
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली[2]	40,971	41,878
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां[3]	61,34,137	43,16,950
भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	**84,46,839**	**63,43,313**

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे। वि‍व17 के आंकड़े अनंतिम हैं।

नोट: अन्य करों सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की गणना संघ वित्त लेखे से की गई है। कुल राजस्व प्राप्तियों में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में वि‍व16 में ₹ 5,06,193 करोड़ तथा वि‍व17 में ₹ 6,08,000 करोड़ शामिल है।

संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में वि‍व16 में ₹ 63,43,313 करोड़ से वि‍व17 में ₹ 84,46,839 करोड़ की वृद्धि हुई। वि‍व17 में, इसकी अपनी प्राप्तियाँ ₹ 22,23,988 करोड़ थी जिसमें ₹ 2,81,635 करोड़ की वृद्धि है, जो पूर्व वर्ष से 14.50 प्रतिशत अधिक है। इसमें ₹ 17,15,968 करोड़ की सकल कर

[1] इसमे बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;

[2] संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली;

[3] भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ साथ बाह्य उधारियां

प्राप्तियाँ शामिल हैं, जिसमें से अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 8,66,167 करोड़ थी।

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

यह प्रतिवेदन वि‍व17 तक के लिए आयोजित लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा इसमें वि‍व16 तक के सेवा कर की उगाही एवं संग्रहण शामिल हैं उस तारीख तक प्रचलित मुख्य अप्रत्यक्ष कर की नीचे चर्चा की गई है:

क) सेवा कर: कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)। सेवा कर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर कर है। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66बी में प्रावधान है कि नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कर योग्य क्षेत्र में दी गई सेवाओं या सेवाएँ देने पर सहमति देने वाली सभी सेवाओं के मूल्य पर 14 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा और इस रूप में वसूल किया जाएगा जैसा कि निर्धारित[4] किया गया है। 'सेवा' को अधिनियम की धारा 65बी(44) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए किसी भी गतिविधि (उनमें छोड़ी गई मदों के अलावा) और उसमें घोषित सेवा[5] शामिल है।

ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भारत में विनिर्मित या उत्पादित माल पर लगाया जाता है। संसद को मानव उपभोग के लिए शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों को छोड़कर किन्तु शराब, अफीम इत्यादि वाले औषधीय और प्रसाधन पदार्थों सहित भारत में विनिर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)।

---

[4] 1 जुलाई 2012 से वित्त अधिनियम 2012 द्वारा सम्मिलित धारा 66बी, धारा 66डी में मदों की सूची है जो ऋणात्मक सूची से बनी है।

[5] वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ई घोषित सेवाओं की सूचीबद्ध करती है।

ग) सीमाशुल्क: भारत में आयातित माल और भारत से बाहर निर्यात होने वाले कुछ माल पर सीमाशुल्क उद्ग्रहीत किया जाता हैं (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)।

यह विचारणीय है कि 1 जुलाई 2017 से, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पेट्रोलियम और कुछ तम्बाकू उत्पादों को छोड़कर), सेवा कर और राज्यों के लगभग सभी अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क के प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) व विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) घटक, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में सम्मिलित हो गये हैं।

इस अध्याय में वित्त लेखे, विभागीय लेखे और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध संबंधित डाटा का प्रयोग करते हुए सेवा कर में प्रवृत्तियों, संयोजन और प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा की गई है।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

वित्त मंत्रालय (मंत्रालय) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन तथा नियंत्रण के तहत कार्य करता है और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित दो सांविधिक बोर्ड नामत: केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। सेवा कर लगाने और इसके संग्रहण से संबंधित मामलों की सीबीईसी द्वारा देखभाल की जाती है।

अप्रत्यक्ष कर कानूनों को सीबीईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, कार्यकारी कमिश्नरियों, द्वारा शासित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए जीएसटी लागू करने के मद्देनजर पुनर्गठन से पूर्व देश को मुख्य कमिश्नर की अध्यक्षता में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के 27 जोनों मे बांटा गया था। इन 27 जोनों के अंतर्गत कमिश्नर की अध्यक्षता में 83 समन्वित कार्यकारी कमिश्नरियां जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित है, 36 विशिष्ट केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यकारी कमिश्नरियां और 22 विशिष्ट सेवा कर कार्यकारी कमिश्नरियां हैं जिसके अध्यक्ष कमिश्नर है। डिवीजन और रेंज अगली संरचनाएं हैं जिनकी अध्यक्षता क्रमश: उप/सहायक कमिश्नर और अधीक्षक द्वारा की जाती है। इन

कार्यकारी कमिश्नरियों के अलावा आठ बड़ी करदाता यूनिटें (एलटीयू) कमिश्नरियां 60 अपील कमिश्नरियां, 45 लेखापरीक्षा कमिश्नरियां और विशिष्ट कार्यों जैसे आसूचना, निरीक्षण, विधिक मामलों आदि जैसे आसूचना, निरीक्षण, विधिक मामलों आदि से संबंधित 20 महानिदेशालय/निदेशालय हैं।

1 जनवरी 2017 तक सीबीईसी की समग्र सापेक्ष कार्यबल संख्या 84,875 थी। सीबीईसी का संगठनात्मक ढाँचा ***परिशिष्ट I*** में दर्शाया गया है।

1.4 अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्तियां एवं संयोजन

तालिका 1.2 वि‍व13 से वि‍व17 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में सापेक्ष वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि‍व13	4,74,728	99,88,540	4.75	10,36,460	45.80
वि‍व14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	43.67
वि‍व 15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	43.87
वि‍व16	7,10,101	1,35,76,086	5.23	14,55,891	48.77
वि‍व17	8,62,151	1,51,83,709	5.68	17,15,968	50.24

स्रोत: कर राजस्व: संघ वित्त लेखे (वि‍व17 अनंतिम), जीडीपी - सीएसओ का प्रेस नोट[6]

यह देखा गया कि वि‍व16 की तुलना में वि‍व17 में पंजीकृत जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में थोड़ी वृद्धि हुई और वि‍व16 की तुलना में वि‍व17 में 1.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.5 अप्रत्यक्ष कर - सापेक्ष योगदान

तालिका 1.3, वि‍व13 से वि‍व17 तक की अवधि में जीडीपी के संदर्भ में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर घटकों का प्रक्षेप वक्र दर्शाती है।

[6] केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 31 मई 2017 को जारी जीडीपी पर प्रेस नोट। यह दर्शाता है कि वि‍व14 और वि‍व15 हेतु जीडीपी के लिये आंकडे नई सिरीज प्राक्कलनों के आधार पर है; और वि‍व17 के आँकडे विद्यमान कीमतों पर अनन्तिम प्राक्कलनों के आधार पर हैं। वि‍व13 के आंकड़े मूल वर्ष 2004-05 सहित वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर हैं। आंकड़ों को सीएसओ द्वारा निरंतर संशोधित किया जा रहा हैं और यह डाटा वित्तीय निष्पादन के साथ व्यापक आर्थिक निष्पादन की सांकेतिक तुलना के लिये हैं।

तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर - जीडीपी की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सेवा कर राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवा कर राजस्व	के.उ.शु. राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में के.उ.शु. राजस्व	सीमा शुल्क राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सीमा शुल्क राजस्व
विव13	99,88,540	1,32,601	1.33	1,75,845	1.76	1,65,346	1.66
विव14	1,13,45,056	1,54,780	1.36	1,69,455	1.49	1,72,085	1.52
विव15	1,25,41,208	1,67,969	1.34	1,89,038	1.51	1,88,016	1.50
विव16	1,35,76,086	2,11,415	1.56	2,87,149	2.12	2,10,338	1.55
विव17	1,51,83,709	2,54,499	1.68	3,80,495	2.51	2,25,370	1.48

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे के अनुसार हैं। विव17 के आंकड़े अनंतिम हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, अप्रत्यक्ष करों के बीच में सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व जीडीपी की प्रतिशतता में सतत वृद्धि हुई, जबकि विव17 के दौरान जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क राजस्व में कमी हुई, यद्यपि मौद्रिक रूप में सभी तीनों करों ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है।

1.6 सेवा कर की वृद्धि - प्रवृत्तियां एवं संघटन

तालिका 1.4, विव13 से विव17 के दौरान निरपेक्ष और जीडीपी में सेवा कर की वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाती है।

तालिका 1.4: सेवा कर में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सकल कर राजस्व	अप्रत्यक्ष कर	सेवा कर राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवा कर राजस्व	सकल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व	अप्रत्यक्ष कर के प्रतिशत के रूप में सेवा कर राजस्व
विव13	99,88,540	10,36,460	4,74,728	1,32,601	1.33	12.79	27.93
विव14	1,13,45,056	11,38,996	4,97,349	1,54,780	1.36	13.59	31.12
विव 15	1,25,41,208	12,45,135	5,46,214	1,67,969	1.34	13.49	30.75
विव16	1,35,76,086	14,55,891	7,10,101	2,11,415	1.56	14.52	29.77
विव17	1,51,83,709	17,15,968	8,62,151	2,54,499	1.68	14.83	29.52

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखों के अनुसार हैं। विव17 के आंकड़े अनंतिम हैं।

विव17 के दौरान सेवा कर सकल कर राजस्व का 14.83 प्रतिशत था। सकल कर राजस्व में सेवा कर के भाग में थोड़ी वृद्धि हुई जबकि कुल अप्रत्यक्ष कर

में इसका शेयर लगातार दो वित्तीय वर्षों अर्थात वित16 और वित17 में कम हुआ। वित17[7] के लिये केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के अनंतिम अनुमान (पीई) के अनुसार सेवा क्षेत्र वृद्धि (अर्थात निरंतर (वित 12) मूल कीमतों पर जीवीए) में पिछले दो वर्षों में 9.7 प्रतिशत से 7.7 प्रतिशत की गिरावट मुख्य रूप से दो सेवा श्रेणियों (i) करोबार, होटलों, परिवहन, संचार और प्रसारण सं संबंधित सेवाओं, और (ii) वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यवसायी सेवाएं में वृद्धि में गिरावट के कारण है।

1.7 प्रमुख सेवा श्रेणियों से सेवा कर

वित्त अधिनियम, 1994, के अनुसार, सेवा कर 30 जून 2012 तक 119 सेंवाओं पर लगाया गया था। 1 जुलाई 2012 से नकारात्मक सूची के आरम्भ के साथ धारा 66डी के तहत निर्दिष्ट प्रविष्टयों के अतिरिक्त सभी सेवाएं जैसे - रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा सेवाएं, भारत में स्थित एक विदेशी दूतावास द्वारा सेवाएं, माल व्यापार, टोल शुल्क के भुगतान पर एक सड़क या पुल को पहुँच के रूप में सेवाएं, स्कूल-पूर्व-शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्कूल तक या समकक्ष के माध्यम से शिक्षा के अलावा सभी सेवाएं कर योग्य थी।

सर्वोच्च पांच श्रेणी सेवाओं ने वित17 के दौरान कुल सेवा कर संग्रहण में 26 प्रतिशत का अंशदान दिया जिसे पाई चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है, जबकि शेष सेवा श्रेणियों ने 74 प्रतिशत अंशदान दिया।

[7] आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (खण्ड II) का पैरा संख्या 9.9

चार्ट-1.1 विव17 में सर्वोच्च पांच सेवाओं से सेवा कर संग्रहण

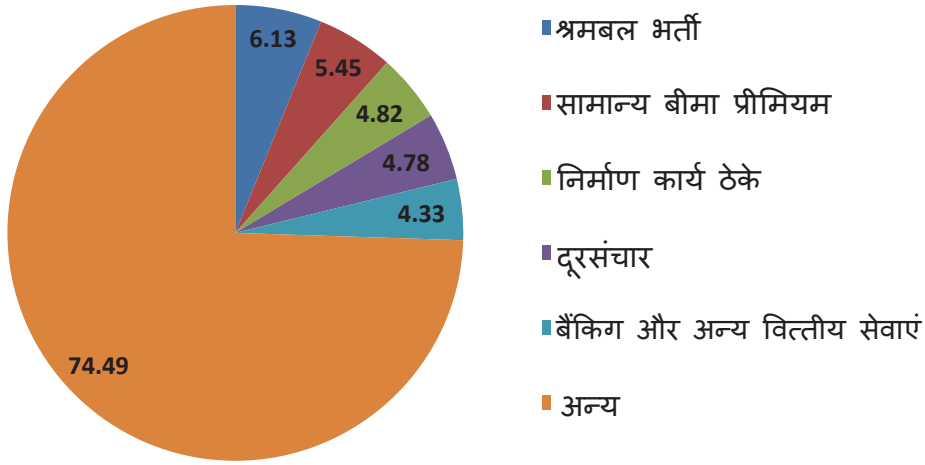

विव13 से विव17 के दौरान इन पांच शिखर श्रेणी सेवाओं से सेवा कर संग्रहण तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: पांच शिखर सेवा श्रेणियों से सेवा कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विव13	विव14	विव15	विव16	विव17
श्रमबल भर्ती	4,432	7,335	9,045	13,129	15,597
सामान्य बीमा प्रीमियम	6,321	8,834	9,263	11,436	13,866
निर्माण कार्य ठेके	4,455	7,434	8,139	11,434	12,277
दूरसंचार	7,538	12,643	13,531	12,690	12,171
बैंकिग और अन्य वित्तीय सेवाएं	4,964	7,185	8,099	11,005	11,032

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखें। विव17 के आंकड़े अतंतिम हैं।

दिनांक 30 जून 2012 की अधिसूचना द्वारा रिवर्स प्रभार[8] के तहत सेवा कर का भुगतान अन्य सेवाओं के अलावा श्रमबल भर्ती और निर्माण कार्य संविदा सेवा के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद, विव16 और विव17 में सर्वोच्च सेवा कर राजस्व भुगतान सेवा बन कर श्रमबल भर्ती सेवा से सेवा कर में विव13 में ₹ 4,43 करोड़ से विव17 में ₹ 15,597 करोड़ की लगातार वृद्धि हुई। इसीप्रकार, निर्माण कार्य संविदा सेवा जो विव17 में तीसरी सर्वोच्च राजस्व अशंदान देने वाली सेवा थी, में राजस्व में विव13 में ₹ 4,455 करोड़

[8] सामान्य: सेवा प्रदाता सेवा कर का भुगतान करता है परन्तु कुछ मामलों में, प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, जिसे रिवर्स प्रभार कहा जाता है।

से वित्त17 में ₹ 12,277 करोड़ तक वृद्धि हुई थी। दूरसंचार वित्त16 में दूसरे शीर्ष अंशदाता से चौथे स्थान पर खिसकने के साथ सामान्य बीमा प्रीमियम द्वितीय स्थिति पर था। बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्वोच्च सेवा कर अंशदाता के बीच पाँचवे स्थान पर थीं।

1.8 कर आधार

"निर्धारिती" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो सेवा कर भुगतान करने का दायी है और वित्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की धारा 65 (7) में परिभाषा के अनुसार उसके एजेंट को शामिल करता है। तालिका 1.6 वित्त अधिनिमय 1994 की धारा 69 के अंतर्गत सेवा कर विभाग के पास पंजीकृत व्यकतियों की संख्या का डाटा चित्रित करती है।

तालिका 1.6: सेवा कर में कर आधार

वर्ष	एसटी पंजीकरणों की संख्या	पूर्व वर्ष से वृद्धि %	पंजीकरण कराने वालों की संख्या जिन्होने विवरणी दाखिल की	पंजीकरण कराने वालों की % जिन्होंने विवरणी फाइल की
वित्त13	19,97,422	13.00[9]	8,67,182	43.42
वित्त14	22,73,722	13.83	10,08,137	44.34
वित्त15	25,26,932	11.14	11,12,120	44.01
वित्त16	28,28,361	11.93	12,18,594	43.08
वित्त17	31,60,281	11.74	13,06,280	41.33

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े।

यह देखा गया है कि पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ विवरणी फाइल करने वाले निर्धारितियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। तथापि, विवरणी फाइल करने वाले पंजीकृत निर्धारितियों के प्रतिशत में वित्त17 में 2 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।

विभाग को विवरणियों दाखिल न करने के कारणों की जांच करने और देय विवरणियों को दाखिल करना सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

[9] वित्त12 के दौरान एसटी पंजीकरण 17,67,604 थे।

वि‍व13 से वि‍व16 से संबंधित दाखिल की गई विवरणियों पर इस वर्ष मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा पिछले वर्ष प्रस्तुत संदर्भित डाटा से मेल नहीं खाता है जो 2016 की सीएजी के प्रतिवेदन सं. 41 में सूचित किया गया था।

1.9 बजट अनुमान बनाम वास्तविक प्राप्तियाँ

तालिका 1.7 सेवा कर प्राप्तियों के लिए बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) और तदनुरूपी वास्तविक आंकड़ों की तुलना को दर्शाती है।

तालिका 1.7: बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक तथा बीई के बीच अन्तर	वास्तविक तथा बीई के बीच % ता अन्तर	वास्तविक तथा आरई के बीच % ता अन्तर
वि‍व13	1,24,000	1,32,697	1,32,601	8,601	6.94	(-)0.07
वि‍व14	1,80,141	1,64,927	1,54,780	(-)25,361	(-)14.08	(-)6.15
वि‍व15	2,15,973	1,68,132	1,67,969	(-)48,004	(-)22.23	(-)0.10
वि‍व16	2,09,774	2,10,000	2,11,415	1,641	0.78	0.67
वि‍व17	2,31,000	2,47,500	2,54,499	23,499	10.17	2.83

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे तथा प्राप्ति बजट दस्तावेज। वि‍व17 की वास्तविक प्राप्तियों के आंकडें अनंतिम है।

यह देखा जाता है कि वि‍व17 के दौरान सेवा कर का वास्तविक संग्रहण पिछले वर्षों की नकारात्मक प्रवृत्ति को प्रतिते हुए बजट अनुमानों से 10 प्रतिशत अधिक और संशोधित बजट अनुमानों से लगभग 3 प्रतिशत अधिक था।

1.10 सेवा कर का बकाया

दी गई महत्वपूर्ण बकाया राशि वसूल करने के लिए यह आवश्यक है कि कर विभाग जीएसटी के संव्यवहार के बाद भी विरासती मुद्दों पर विशेष रूप से जानकारी रखें।

कानून अर्जित किये गये परन्तु वसूले नहीं गये राजस्वों की वसूली के लिए विभिन्न रीतियाँ प्रदान करता है। इनमें व्यक्ति जिससे राजस्व वसूली योग्य है, को देय राशि यदि कोई हो, का समायोजन, जिला राजस्व प्राधिकरण द्वारा कुर्की और उत्पाद-शुल्क योग्य माल की बिक्री और वसूली शामिल है।

तालिका 1.8 राजस्व बकायों की वसूली के संबंध में विभाग का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.8: सेवा कर - बकायाओं की वसूली

(₹ करोड़ में)

	विव17	
	सकल बकाया[10]	**वसूली योग्य बकाया[11]**
अथशेष	90,170.04	2,658.31
वर्ष के दौरान वृद्धि	68,663.89	6,176.31
कुल बकाया	1,58,833.93	8,834.62
मांग का निपटान[12]	39,006.39	4,285.29
वूसला गया बकाया	1,892.89	783.33
कुल बकाया के % के रूप में बकाया वसूली	1.19	8.87
अन्त शेष	1,17,934.65	3,766.00

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे।

यह देखा जा सकता है कि विव17 के दौरान विभाग केवल 8.87 प्रतिशत वसूली योग्य बकायों को वसूल कर सका था। वसूल किए जाने वाले बकायों की पर्याप्त राशियों को देखते हुए यह अनिवार्य है कि सेवा कर विभाग जीएसटी को परिवर्तन के बाद भी विरासत मामलों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करें।

1.11 अपवंचन रोधी उपायों के कारण अतिरिक्त राजस्व वसूली

महानिदेशक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना (डीजीसीईआई) के साथ-साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कमिश्नरी सेवा कर के अपवंचन के मामलों को खोजने के कार्य में सुपरिभाषित भूमिकाएं रखते हैं। जबकि कमिश्नरियां अपने क्षेत्राधिकार में यूनिटों के बारे में अपने व्यापक डाटाबेस तथा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के साथ शुल्क अपवंचन के विरूद्ध रक्षा की पहली पंक्ति में हैं वहीं पर्याप्त राजस्व के अपवंचन के बारे में विशेष

---

[10] सकल बकाया में रूका हुआ, रोका गया (बीआईएफआर मामले, रूकी हुई लम्बित आवेदन इत्यादि) और वसूली योग्य बकाया शामिल हैं।

[11] जिन मामलों में मांग की पुष्टि की गई है, परन्तु कोई भी अपील नियत समय के अन्दर दाखिल नहीं की गई है, इकाई को बंद करना/चूककर्ता को पता नहीं लगाया जा सकता है, आदि मामले समायोजन आयोग द्वारा नियत किया गया है।

[12] मांगों के निपटान में विभाग पक्ष में/विभाग के विरूद्ध मांग की पुष्टि शामिल करते हुए, नए सिरे से अधिनिर्णय के लिए आदेश आदि।

आसूचना संग्रहीत करने में डीजीसीईआई की विशेषता है। ऐसी संग्रहीत आसूचना कमिश्नरियों के साथ साझा की जाती है। अखिल भारतीय उप-शाखाओं वाले मामलों में डीजीसीईआई द्वारा जांच भी की जाती है। तालिका 1.9 गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का निष्पादन दर्शाती हैं।

तालिका 1.9: गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खोज		जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान
	मामलों की संख्या	राशि	
विव15	6,719	10,544	4,448
विव16	7,534	18,971	4,658
विव17	8,085	17,846	5,313

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे।

यह पाया गया है कि डीजीसीईआई द्वारा खोजे गये सेवा कर के मामलों में विव16 की तुलना में विव17 में वृद्धि हुई है जबकि खोजी गई राशि में कुछ कमी आई है।

सेवा कर में कर प्रशासन

1.12 विवरणियों की संवीक्षा

सीबीईसी ने 2001 में सेवा कर के संबंध में स्वनिर्धारण की संकल्पना लागू की थी। स्वनिर्धारण लागू करने के साथ विभाग ने अन्य बातों के साथ विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से सशक्त अनुपालन सत्यापन तंत्र का प्रावधान भी परिकल्पित किया था।

बार-बार हमारे अनुस्मारकों के बावजूद, विभाग ने विव17 के लिए विवरणियों की संवीक्षा पर सूचना प्रस्तुत नहीं की थी। विभाग ने बताया था कि जीएसटी के लिए विभाग के पुनर्गठन के कारण, विभिन्न नए क्षेत्रीय कार्यालयों से डाटा संग्रहण व्यवहार्य नहीं है। यह इस चिंता को बढाता है कि विरासती मुद्दो को नजरअंदाज किया जा सकता था। वास्तव में, विभाग को व्यवस्थित ढंग से नए कार्यालयो को वसीयती अभिलेखो को सौंपने पर ध्यान देना चाहिए और पिछले कार्यालयों से नए कार्यालयों के लिए विरासत के अभिलेखो के संचलन की पूरी जानकारी रखनी चाहिए।

1.13 अधिनिर्णय

अधिनिर्णय एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से सम्बन्धित मामले निर्धारित करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ सेनवैट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावों, अनन्तिम निर्धारण आदि से सम्बन्धित पहलुओं पर विचार विकसित हो सकते है। अधिनिर्णय अधिकारी के एक निर्णय को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

तालिका 1.10 अधिनिर्णय के लिए लम्बित सेवा कर मामलों का कालवार विश्लेषण चित्रित करती है।

तालिका 1.10 विभागीय अधिकारियों के पास अधिनिर्णय हेतु लम्बित मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च को लम्बित मामलें		1 वर्ष से अधिक लंबित मामलों की संख्या
	सं.	राशि	
विव15	33,122	77,463	12,668
विव16	30,453	76,124	8,587
विव17	19,053	68,941	6,919

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

विव16 की तुलना में विव17 में 37.43 प्रतिशत तक अधिनिर्णय के लिए लम्बित कुल मामलों की संख्या में कमी आई इसके साथ एक वर्ष से अधिक से लम्बित मामलो में 19.42 प्रतिशत की गिरावट आई है। तथापि, इन मामलों में सम्मिलित राशि में केवल 9.44 प्रतिशत की कमी आई।

1.14 प्रतिदाय दावों का निपटान

प्रतिदाय दावों से सम्बन्धित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम प्रावधान सेवा कर को भी लागू होते हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11बी दावे तथा वापसी की मंजूरी के लिए विधिक प्राधिकारी का प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 11बीबी प्रावधान करती है कि प्रतिदाय राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाता है यदि यह वापसी के आवेदन की तिथि के तीन महीने के अन्दर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमपुस्तक में निर्धारित कि विभाग को प्रतिदाय दावों को तभी स्वीकार करना चाहिए, जब सभी समर्थक दस्तावेज साथ हों क्योंकि आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्रतिदाय

की संस्वीकृति में विलम्ब हो सकता है। तालिका 1.11 विभाग द्वारा वापसी दावों के निपटान की स्थिति दर्शाती है। दर्शायी गई देरी वापसी आवेदन की प्राप्ति की तिथि से दावों के अन्तिम संसाधन तक के लिए गए आवश्यक समय के रूप में है।

तालिका 1.11: सेवा कर में वापसी दावों का निपटान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथशेष		प्राप्तियाँ (वर्ष के दौरान)		(वर्ष के दौरान) निपटान				मामले जहाँ ब्याज का भुगतान किया गया		3 महीनों के अन्तर्गत निस्तारित मामलों की संख्या
					संस्वीकृत		अस्वीकृत				
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	
वि‍व16	20,740	12,370	26,230	10,633	23,860	6,598	7,973	6,302	0	0	1,131
वि‍व17	12,243	8,319	33,343	14,792	28,154	9,953	7,165	5,954	4	6	1,632

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

यह देखा गया कि वि‍व16 की तुलना में वि‍व17 में प्रतिदाय निपटान मामलों की संख्या के साथ-साथ संस्वीकृत राशि दोनों में काफी वृद्धि हुई थी। वि‍व17 में निपटान किए कुल 28,154 मामलों में से, केवल 1,632 मामले (5.80 प्रतिशत) निर्धारित तीन महीने की अवधि के अन्तर्गत संसाधित किए गए थे। यह वि‍व14 में तीन महीने के अंतर्गत 82 प्रतिशत मामलों[13] के निपटान की तुलना में बड़ी गिरावट है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने प्रतिदाय की संस्वकृति में विलम्ब के लिए केवल चार मामलों में ब्याज का भुगतान किया था। इस प्रकार, लगभग 94 प्रतिशत के निपटान में विलम्ब से हुए प्रतिदाय के लगभग सभी मामलों में ब्याज का भुगतान नहीं हुआ था, दोनों में, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था।

तालिका 1.12 पिछले तीन वर्षों के दौरान वापसी दावों के लम्बित होने का वर्षवार विश्लेषण दर्शाती है।

[13] जैसा 2016 के प्रतिवेदन संख्या 41 की तालिका 1.11 में दर्शाया गया।

तालिका 1.12: 31 मार्च को सेवा कर प्रतिदाय मामलों का वर्षवार लम्बन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ओबी जमा वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	31 मार्च को लम्बित वापसी दावों की कुल संख्या[14]		लंबित वापसी दावे			
				1 वर्ष से कम		1 वर्ष से अधिक	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वि‍व15	*	13,913	8,390	10,848	5,642	3,065	2,747
वि‍व16	46,970	12,243	8,319	9,403	5,146	2,840	3,173
वि‍व17	45,586	10,089	6,994	9,063	6,035	1,026	959

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे।

*मंत्रालय ने वि‍व15 के लिए पूर्ण डाटा प्रदान नहीं किया।

यह पाया गया की वि‍व16 की तुलना में वि‍व17 में एक वर्ष से अधिक लम्बित सहित लम्बित प्रतिदाय मामलों की संख्या के साथ साथ वापसी दावों में संलिप्त राशि दोनों में काफी कमी हुई थी।

1.15 अपील मामले

अधिकरण प्राधिकरणों के अलावा, विभागीय अपीलीय प्राधिकरणों, न्यायालयों आदि समेत कुछ अन्य प्राधिकरण हैं जहाँ विधि के मुद्दे, व्याख्याओं आदि पर विचार किया जाता है। अपीलों के लम्बन के कारण राजस्व की विशाल राशियां पर्याप्त समयावधि के लिए अवसूचित रहती हैं। सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर, हमने तालिका 1.13 में विभिन्न फोरमों पर मामलों के लम्बन को तालिकाबद्ध किया है।

मंत्रालय ने वि‍व 15 से वि‍व17 के लिए सेवा कर के लिए अपील के लम्बन से संबंधित डाटा उपलब्ध कराये थे। डाटा तालिकाबद्ध है:

[14] मंत्रालय द्वारा दिये गए जमा शेष के आंकडे तालिका 1.11 में दी हुई जानकारी से निकाले गये जमा शेष से मेल नहीं खाते।

तालिका 1.13: अपील का लम्बन (एसटी)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	फोरम	वर्ष के अंत पर लम्बित अपील					
		निर्धारिती की अपीलों के ब्यौरे		विभागीय अपीलों के ब्यौरे		कुल	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि	अपीलों की संख्या	शामिल राशि	अपीलों की संख्या	शामिल राशि
विव15	सर्वोच्च न्यायालय	179	450	359	1,762	538	2,211
	उच्च न्यायालय	1,837	4,663	877	1,717	2,714	6,380
	सेसटैट	16,245	54,654	5,585	6,762	21,830	61,416
	निपटान आयोग	73	214	0	0	73	214
	कमिश्नर (अपील)	15,112	3,373	1,925	357	17,037	3,730
	कुल	**33,446**	**63,354**	**8,746**	**10,597**	**42,192**	**73,951**
विव16	सर्वोच्च न्यायालय	196	959	423	3,077	619	4,036
	उच्च न्यायालय	2,115	6,300	859	2,218	2,974	8,518
	सेसटैट	18,628	63,654	5,546	15,824	24,174	79,478
	निपटान आयोग	52	94	0	0	52	94
	कमिश्नर (अपील)	14,986	4,320	2,619	377	17,605	4,697
	कुल	**35,977**	**75,327**	**9,447**	**21,496**	**45,424**	**96,823**
विव17	सर्वोच्च न्यायालय	220	2,031	508	6,116	728	8,147
	उच्च न्यायालय	2,549	9,383	917	3,067	3,466	12,450
	सेसटैट	21,737	78,821	5,610	15,506	27,347	94,327
	निपटान आयोग	75	189	0	0	75	189
	कमिश्नर (अपील)	16,720	6,398	2,513	497	19,233	6,895
	कुल	**41,301**	**96,822**	**9,548**	**25,186**	**50,849**	**1,22,008**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे।

तालिका दर्शाती है कि विव17 के अन्त में ₹ 1,22,008 करोड़ के राजस्व वाले मामले अपीलों में लम्बित थे जो कि विव16 के अन्त तक लम्बित राशि से लगभग 26 प्रतिशत अधिक है। क्योंकि अपील के लम्बित रहने तक राजस्व की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती इसलिए विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा राजकीय कोष को 1,22,008 करोड़ के संभावित राजस्व की प्राप्ति के लिए शीघ्र निपटान करना महत्वपूर्ण है।

मंत्रालय ने विव16 एवं विव17 के लिए सेवा कर अपील मामलों के निपटान के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं। डाटा तालिकाबद्ध है:

तालिका 1.14: वर्ष के दौरान निर्णीत मामलों का ब्यौरा (एसटी)

वर्ष	फोरम	विभाग के पक्ष में निर्णय				निर्धारिती की अपील			
		विभाग के पक्ष में निर्णय	विभाग के विरूद्ध निर्णय	माँगी गई	सफल अपील का %	निर्धारिती के पक्ष में निर्णय	निर्धारिती के विरूद्ध निर्णय	माँगी गई	सफल अपील का %
विव16	सर्वोच्च न्यायालय	7	81	6	7.45	11	3	3	64.71
	उच्च न्यायालय	51	211	25	17.77	118	361	172	18.13
	सेसटैट	114	589	72	14.71	1,020	544	582	47.53
	निपटान आयोग	275	294	26	46.22	2,897	2,673	1,341	41.92
	कमिश्नर (अपील)	**447**	**1,175**	**129**	**25.53**	**4,046**	**3,581**	**2,098**	**41.60**
विव17	सर्वोच्च न्यायालय	9	14	4	33.33	2	6	9	11.76
	उच्च न्यायालय	29	204	10	11.93	139	346	79	24.65
	सेसटैट	198	1,508	135	10.76	1,560	644	635	54.95
	निपटान आयोग	0	0	0	0	17	53	4	22.97
	कमिश्नर (अपील)	485	781	122	34.94	4,026	3,803	2,098	40.56
	कुल	**721**	**2,507**	**271**	**20.61**	**5,744**	**4,852**	**2,825**	**42.80**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे।

तालिका से पता चलता है कि अधिनिर्णय आदेश के विरूद्ध विभाग की अपील का सफलता अनुपात विव16 में 25.53 प्रतिशत से विव17 में 20.61 तक घटा है। जब विभाग ने उच्च न्यायालय और सेसटैट में अपील की तब सफलता अनुपात 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के बीच था।

1.16 संग्रहण की लागत

तालिका 1.15 राजस्व संग्रहण की तुलना में संग्रहण की लागत दर्शाती है।

तालिका 1.15: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्राप्तियां तथा संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सेवा कर से प्राप्तियां	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	संग्रहण की लागत	कुल प्राप्तियों % के रूप में संग्रहण की लागत
विव13	1,32,601	1,75,845	3,08,446	2,439	0.79
विव14	1,54,780	1,69,455	3,24,235	2,635	0.81
विव15	1,67,969	1,89,038	3,57,007	2,950	0.83
विव16	2,11,415	2,87,149	4,98,564	3,162	0.63
विव17	2,54,499	3,80,495	6,34,994	4,056	0.64

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखे। विव17 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

गत वर्ष की तुलना में मौद्रिक शब्दों में वि‍व17 में संग्रहण की लागत में वृद्धि हुई किन्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सेवा कर प्राप्तियों में 20 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इसमें मामूली वृद्धि हुई।

1.17 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य के लिए वार्षिक राजस्व के आधार पर निर्धारिती इकाइयों को ए, बी, सी और डी श्रेणियों में वगीकृत कर रहा है, समस्त 'ए' श्रेणी इकाइयों को लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए वार्षिक इकाईयों के रूप में माना जाता है जबकि 'बी' श्रेणी द्विवार्षिक इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अक्टूबर 2014 में विभाग की पुन: संरचना के बाद, नई लेखापरीक्षा कमिश्नरियां बनाई गई जिसके बाद विभाग ने लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों को तीन श्रेणियों अर्थात बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों में डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा किये गये केन्द्रिकृत जोखिम निर्धारण के आधार पर मान्यता दी गई। लेखापरीक्षा कमिश्नरी के पास उपलब्ध श्रमबल को 40:25:15 के अनुपात में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयो के बीच आंवटित किया जाता है और शेष 20 प्रतिशत श्रमबल को योजना बनाने, समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उपयोग किया जाता है।

तालिका 1.16 लेखापरीक्षित यूनिटों की तुलना में लेखापरीक्षा दलो द्वारा वि‍व17 के दौरान कमिश्नरियों के लेखापरीक्षा दलों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए देय सेवा कर इकाइयों को दर्शाती है।

तालिका 1.16: वि‍व16 एवं वि‍व17 के दौरान आयोजित निर्धारितियों की लेखापरीक्षाएं

वर्ग	श्रेणी	देय इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा में कमी (सं.)	लेखापरभ्क्षा में कमी (%)
वि‍व17	बड़ी यूनिटें	7,442	3,254	4,188	56.28
	मध्यम यूनिटें	10,450	4,789	5,661	54.17
	छोटी यूनिटें	20,640	12,096	8,544	41.40

स्रोत: आंकडे मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत

विभाग ने लेखापरीक्षा कमिश्नरीयों में उपलब्ध श्रमबल के विभाजन द्वारा जोखिम आधारित चयन को लेखापरीक्षा के लिए देय इकाइयों को राजस्व आधारित चयन से बदल दिया। लेखापरीक्षा के लिए निर्धारिती की चयन पद्धति

में परिवर्तन के बावजूद बड़ी और मध्यम इकाइयों में अभी भी लेखापरीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी है। इसप्रकार लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या में कमी, जोकि पूर्व-पुनर्रचना काल (2015 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4 की टिप्पणी के अनुसार) में लगभग 50 प्रतिशत थी, पृथक लेखापरीक्षा कमिश्नरी बनाने और चयन की संशोधित पद्धति के बावजूद जारी रही।

विभाग द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा का परिणाम तालिका 1.17 में तालिकाबद्ध है।

तालिका 1.17: आतंरिक लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष के दौरान आपत्तिकृत तथा वसूली गई राशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी	पता लगाई गई कम उद्ग्रहित राशि	कुल वसूली गई राशि
विव17	बड़ी इकाइयाँ	4,276	823
	मध्यम इकाइयाँ	1,204	379
	छोटी इकाइयाँ	852	332
	कुल	**6,332**	**1,534**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे।

यह देखा जाता है कि बड़ी इकाईयों में ढूंढी गई और वसूल की गई उदग्रहण राशि अन्य इकाईयों से काफी अधिक थी जो यह दर्शाते हैं कि बड़ी इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है।

1.18 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण

ऐसी विभिन्न पद्धतियां हैं जिनसे बकाया परंतु कर दाताओं द्वारा अदा न किये गये राजस्व को विभाग संग्रहीत करता है। इन पद्धतियों में विवरणियों की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा अपवंचन रोधी, अधिनिर्णयन आदि शामिल होते हैं।

विभागीय प्रयासों के परिणाम तालिका 1.18 में तालिकाबद्ध किये गये हैं।

तालिका 1.18: विभागीय प्रयासों द्वारा वसूला गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभागीय कार्रवाई	विव16 के दौरान वसूली	विव17 के दौरान वसूली
1	अपवंचन रोधी	3,017.85	2,979.64
2	चूककर्ताओं से वसूली	1,044.26	1,312.31
3	पूर्व-जमा	753.37	781.68
4	अधिनिर्णयन में पुष्टि की गई मांगे	1,015.36	666.53
5	आंतरिक लेखापरीक्षा	688.76	628.41
6	विवरणियों की संवीक्षा	263.23	300.90
7	आयकर विवरणियां/स्त्रोत[15] पर काटा गया कर	235.68	184.19
8	स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना	163.89	38.02
9	अन्य	579.85	475.63
	कुल	**7,762.25**	**7,367.31**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें

विव17 के दौरान कुल सेवा कर संग्रहण ₹ 2,54,499 करोड़ है, जिसमें से 2.89 प्रतिशत की घोतक केवल ₹ 7,367.31 करोड़ ही विभागीय प्रयासों से संग्रहीत किया गया है। इसके अतिरिक्त यह देखा जाता है कि तालिका 1.18 में आंतरिक लेखापरीक्षा और अपवंचन रोधी के अंतर्गत दर्शाया गया राजस्व संग्रहण क्रमश: तालिका 1.17 और 1.9 में दर्शाई गई उक्त श्रेणी से संबंधित राशि से मेल नहीं खाता। वास्तव में, तालिका 1.18 (₹ 2,980 करोड़) में दर्शाई गई वसूलियां तालिका 1.9 (₹ 5,313 करोड़) में बताई गई अपवंचन रोधी की जांच के दौरान किये गये स्वैच्छिक भुगतानों से काफी कम हैं। यद्यपि वि.व 15 और वि.व 16 के दौरान मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के संबंध में समान डाटा त्रुटि विगत वर्ष (2016 की रिपोर्ट सं.1 और 2016 की रिपोर्ट सं. 41) सेवा कर पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा मंत्रालय की जानकारी में लाई गई थी, मंत्रालय द्वारा 2017 में दोबारा उपयुक्त सत्यापन के बिना ऐसा डाटा भेजा गया।

वि.व 16 के लिए विभागीय प्रयासों द्वारा वसूल किये गये राजस्व से संबंधित इस वर्ष मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया डाटा मंत्रालय द्वारा विगत वर्ष प्रस्तुत किये गये और 2016 की सीएजी की रिपोर्ट सं. 41 से मेल नहीं खाता।

[15] आय कर विभाग द्वारा साझा की गई सूचना के आधार पर

1.19 लेखापरीक्षा प्रयास और लेखापरीक्षा उत्पाद-अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

महानिदेशक (डीजी)/प्रधान निदेशक (पीडी) लेखापरीक्षा द्वारा अध्यक्षता वाले नौ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुपालन लेखापरीक्षा की गई, जिन्होंने लेखापरीक्षा और लेखा, 2007 (संशोधित) नियमावली और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार विव17 में 1,055 इकाइयों (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) की लेखापरीक्षा की।

डीओआर, सीबीइसी और इसकी क्षेत्रीय स्थापनाओं, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और अन्य पणधारक रिपोर्ट सहित मासिक तकनीकी रिपोर्ट (एमटीआर) में आधारभूत रिकॉर्ड/दस्तावेजों में जांच सहित संघ वित्त लेखा डाटा का प्रयोग किया गया।

1.20 रिपोर्ट का विहंगावलोकन

वर्तमान रिपोर्ट में ₹ 352.86 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 196 पैराग्राफ हैं। सामान्यत: आपत्तियों के तीन प्रकार हैं: सेवा कर का भुगतान न करना, सेवा कर का कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ तथा उपयोग इत्यादि। विभाग/मंत्रालय ने जिसमें कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करना, कारण बताओ नोटिस का अधिनिर्णयन के रूप में 176 पैराग्राफ के मामले में ₹ 205.26 करोड़ की राशि वाली पहले ही की गई परिशोधित कार्रवाई की है और ₹ 100.70 करोड़ की वसूली सूचित की है।

1.21 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, राजस्व प्रभाव/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुवर्ती कार्रवाई

पिछली पांच लेखापरीक्षा रिपोर्टों में (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट शामिल) हमने ₹ 2,034.07 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 854 लेखापरीक्षा पैराग्राफों (तालिका 1.19) को शामिल किया था।

तालिका 1.19: लेखापरीक्षा रिपोर्टों की अनुवर्ती कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

वर्ष			वि‍व13	वि‍व14	वि‍व 15	वि‍व16	वि‍व17	कुल
शामिल पैराग्राफ		संख्या	151	178	167	162	196	**854**
		राशि	265.75	772.08	386.50	256.88	352.86	**2,034.07**
स्वीकृत पैराग्राफ	मुद्रण पूर्व	संख्या	147	171	163	158	176	**815**
		राशि	262.29	477.22	372.80	252.65	205.26	**1,570.22**
	मुद्रण के बाद	संख्या	4	--	1	--	--	**5**
		राशि	1.81	--	0.32	--	--	**2.13**
	कुल	संख्या	151	171	164	158	176	**820**
		राशि	264.10	477.22	373.12	252.65	205.26	**1,572.35**
की गई वसूलियां	मुद्रण पूर्व	संख्या	95	92	104	122	116	**529**
		राशि	65.28	130.29	53.02	78.47	100.70	**427.76**
	मुद्रण के बाद	संख्या	9	11	3	--	--	**23**
		राशि	2.07	33.93	1.10	--	--	**37.10**
	कुल	संख्या	104	103	107	122	116	**552**
		राशि	67.35	164.22	54.12	78.47	100.70	**464.86**

स्रोत: सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

यह देखा जाता है कि मंत्रालय ने ₹ 1,572.35 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 820 लेखापरीक्षा पैराग्राफों को स्वीकार किया था तथा ₹ 464.86 करोड़ वसूल किए थे।